राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	922/2016 रुक्मणी बनाम गीता देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 921/2016 महेश बनाम सीताराम 290/2018 गीता देवी बनाम सीताराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक-पृथक वाद संख्या 270/2016 एवं 133/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2016 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 921/2016 व 922/2016 एवं 290/2018 प्रस्तुत की गयी है, जिसमे समान पक्षकार एवं समान प्रश्नगत भूमि होने से तीनो अपीले क्रमश: 921/2016 व 922/2016 एवं 290/2018 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/05/2026 को पेश हो |	
04/05/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 270/2016 सीताराम, रोशन, उमेश ने घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा ग्राम टोडाभाटा तहसील बस्सी के सम्बन्ध में पेश कर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने एवं प्रतिवादीगण के राजस्व इन्द्राजात को वादीगण के प्रति क्लेदम बेअसर एवं प्रभावशून्य किये आने का अनुतोष चाहा गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प टोडाभाटा में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 6/06/2016 पारित करते हुये भूमि वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 921/2016 उनवानी महेश बनाम सीताराम तथा अपील संख्या 290/2018 उनवानी गीता देवी बनाम सीताराम प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दूसरा वाद संख्या 133/2016 गीता देवी ने घोषणा, स्वामित्व एवं इन्द्राज दुरुस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा ग्राम टोडाभाटा तहसील बस्सी के सम्बन्ध में पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	922/2016 रुक्मणी बनाम गीता देवी 921/2016 महेश बनाम सीताराम 290/2018 गीता देवी बनाम सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प टोडाभाटा में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2016 पारित करते हुये स्व. काना के वारिसो के नाम नामान्तकरण खोल कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 922/2016 उनवानी महेश बनाम सीताराम इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी |

| अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक-पृथक वाद संख्या 270/2016 एवं 133/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2016 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 921/2016 व 922/2016 एवं 290/2018 प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि तीनो अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रश्नगत भूमि में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है | गुणावगुण ण" उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की दोनों पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों वाद समान आराजी के सन्दर्भ में प्रस्तुत हुये थे, जिन्हें कन्सोलिडेट करते हुये निर्णय किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर दोनों वादों का लोक अदालत में नियत कर विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में प्रक्रियात्मक एवं विधि त्रुटी कारित की है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णय विरोधाभासी प्रकट होते है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड हेतु तनकीवार साक्ष्य-सबूतों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये निर्णय पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटी किया जाना प्रकट होता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	922/2016 रुक्मणी बनाम गीता देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 921/2016 मेघा बनाम सीताराम 290/2018 गीता देवी बनाम सीताराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 270/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2016 एवं वाद संख्या 133/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2016 निरस्त किये जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत विवेचन करते हुये विधिक प्रावधानों की अनुपालना कर पुन: निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील संख्या 921/2016 व 922/2016 एवं 290/2018 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |